भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4052
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मजदूरी के भुगतान में विलंब

4052. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हाल के अध्ययन की जानकारी है, जिसमें ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों की लंबित मजदूरी के रूप में 39 करोड़ रुपये बकाया हैं;

(ख) क्या सरकार उन अध्ययन के निष्कर्षों को स्वीकार करती है जिसमें कहा गया है कि आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और जाति-आधारित मजदूरी वितरण ने भुगतान संवितरण में तेजी लाने के बजाय अनजाने में इसके विलंब में योगदान दिया है;

(ग) एबीपीएस में परिचालन संबंधी चुनौतियों और जाति-आधारित मजदूरी वितरण से उत्पन्न मुद्दों को हल करने के लिए क्या विशिष्ट उपचारात्मक उपाय लागू किए गए हैं या योजना बनाई जा रही है ; और

(घ) मनरेगा श्रमिकों को सभी बकाया मजदूरी देय राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा और तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभाथयों के खाते में सीधे जमा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (19.03.2025 की स्थिति के अनुसार), महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कुल 84,114.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं , जिसमें मजदूरी घटक के लिए 62,660.45 करोड़ रुपये और सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 21,454.25 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विलंबित मजदूरी के संबंध में उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची- II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की मांग करने वाले श्रमिक मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक लंबित भुगतान न की गई मजदूरी के 0.05% प्रतिदिन की दर से विलंब हेतु मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। राज्य सरकार

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विधिवत सत्यापन के बाद मुआवजे का अग्रिम भुगतान करेगी और भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों अथवा एजेंसियों से मुआवजे की राशि वसूल करेगी।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार बदलाव और बाद में इसे अद्यतन न किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए , आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में, कुल 13.58 करोड़ सक्रिय श्रमिकों के मुकाबले 99.50 प्रतिशत को आधार से जोड़े जाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। नरेगासॉफ्ट में 100% आधार से जोड़ने और एपीबीएस परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। जब कभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी अन्य हितधारक द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रेणी-वार (अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य) मजदूरी भुगतान प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत दिए गए लाभों का रिकार्ड रखने के लिए सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार शुरू की गई है। यह भागीदारी पर नज़र रखने, भेदभाव को रोकने और वित्तीय नियोजन और बजट आवंटन के लिए बेहतर नीतिगत निर्णयों को सक्षम करने में भी मदद करता है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थी कार्य की मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत सरकार ने समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश सृजित करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का विस्तार
(ii) मजदूरी के समय पर भुगतान , लंबित क्षतिपूर्ति दावों के सत्यापन आदि की कार्यनीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया गया।
(iii) समय पर भुगतान और मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना।
(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान , जिनमें वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक , मध्यावधि समीक्षा बैठक, मासिक समीक्षा बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा शामिल है , मजदूरी के समय पर भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

*****